तत्काल प्रकाशन के लिए

प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 43 /2024)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम (टीसीपीआर), 2012 की समीक्षा" पर परामर्श पत्र जारी किया है।

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2024: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज हितधारकों के परामर्श के लिए "दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम (टीसीपीआर), 2012" की समीक्षा पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

2. इस परामर्श पत्र का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के टैरिफ ऑफरिंग से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा करना है। इस संबंध में, ट्राई के तत्वावधान में "दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ और संबंधित मुद्दों" के संबंध में एक उपभोक्ता सर्वेक्षण किया गया, ताकि कई मुद्दों पर परामर्श प्रक्रिया शुरू की जा सके, जैसे कि "टैरिफ उपलब्धता का विकल्प" और "वाउचर की वैधता"। इसके अलावा, दूरसंचार उद्योग के अनुरोध पर विचार करते हुए "वाउचर की कलर कोडिंग" और "मूल्यवर्ग वाउचर" के मुद्दे को भी परामर्श के लिए पहचाना गया है।

3. दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम (टीसीपीआर), **2012** की समीक्षा पर परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

4. "दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम (टीसीपीआर), 2012 की समीक्षा" पर परामर्श पत्र पर हितधारकों से 16 अगस्त 2024 तक लिखित टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाती हैं। यदि कोई प्रति-टिप्पणियाँ हों, तो उन्हें 23 अगस्त 2024 तक प्रस्तुत किया जा सकता है। टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, तो अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में ई-मेल पते advfea1@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं।

5. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री अमित शर्मा, सलाहकार (वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण) से ईमेल आईडी: advfea1@trai.gov.in पर या टेलीफोन नं. +91- 011-20907772 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा